सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.)
सत्यमेव जयते

प्र0सं0 17/2022

महेन्द्र सिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति रायसिख साकिन 43 पी एस तहसील रायसिंहनगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

गंगाराम पुत्र केसरा राम जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

अप्रार्थी

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राज0 उपनिवेशन अधि0

उपस्थित : 1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
2. श्री तेजासिंह संधू, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस की ओर से।

दिनांक : 22.03.2022

आदेश

शिकायतकर्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 30–6–89 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 7–5–91 की आदेशिका के अनुसार कार्य विभाजन के अनुसार तहसील रायसिंहनगर के ऐसे प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय को होने के कारण प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्री गंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। पुनः कार्यालय आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14–1–22 के द्वारा रायसिंहनगर की क्षेत्राअधिकारिता इस न्यायालय को दिये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण दिनांक 10–2–22 को इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी गंगाराम ने तथ्य छुपा कर चक 44 एन पी मु0 नं0 17 में 24–10 बीघा व चक रामसरा कुम्हारान खाता सं0 247/321 में 24 बीघा 10 बिस्वा व असके अलावा 44 एन पी का मु0 नं0 13–14–15–16 व 25 व 10 में 27–10 बीघा रकबा आवंटन करवा लिया है, जिसे अधिग्रहण किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब के उपरांत समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक 14–7–04 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी गंगाराम के मु0 नं0 131 की 24–10 बीघा का आवंटन जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर के आदेश दिनांक 3–2–71 द्वारा कराया गया है, को निरस्त किया जाकर वहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश के विरूद्व अप्रार्थी गंगाराम द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 276/04 पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 27–10–2004 को किया जाकर अपील स्वीकार की गई तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–7–04 निरस्त किया जाकर प्रकरण

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि गंगाराम एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर के प्रतिवेदन वर्ष 1997 तथा 1998 में वर्णित सभी पक्षकारों को सुनकर तथा उक्त दोनों रिपोर्ट के अन्तर को स्पष्ट करवाकर तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में उठाये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर के न्यायालय से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में अंकित किया है कि अप्रार्थी गंगाराम के धारण में 76 बीघा 10 बिस्वा भूमि के होते हुए उसने तथ्यों को छिपा कर 24–10 बीघा बारानी भूमि का दिनांक 14–10–71 को आवंटन और करवाया है। इस शिकायत की पुष्टि तहसील से प्राप्त रिपोर्ट वर्ष 1997 एवं 1998 से होती है। राज0 उप निवेशन अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत आवंटन को निरस्त करते समय केवल एक बिन्दू विचारणीय होता है कि आवंटी ने आवंटन कराते समय कोई तथ्य छिपाया है या नहीं यदि किसी तथ्य को छिपाया गया हो तो आवंटन निरस्त करने योग्य होता है। आवंटी ने अपने द्वारा धारित भूमि के तथ्य को छिपाया है। इस तथ्य का आवंटन खारिजी पर भी कोई प्रभाव नहीं है कि आवंटी को कितनी भूमि किस प्रकार से आवंटन हुई थी और वह अपने पूर्व में धारित की गई भूमि के अतिरिक्त और कितनी भूमि आवंटन कराने का पात्र था। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा है कि तहसीलदार की रिपोर्ट 1997 एवं 1998 की दो रिपोर्टस के अन्तर को अनदेखा करके केवल 1998 की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है। अप्रार्थी के पास जो भूमि बताई गई है, वह उसकी स्वंय की नहीं है और इस भूमि के आधार उसे भूमिहीन नहीं मानना कानूनी रूप से गलत है। उन्होनें आर आर डी 1999 पेज 128 के न्यायिक दृष्टान्त को हवाला देते हुए कहा कि इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी का आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। तहसील रिपोर्ट के अनुसार चक 44 एन पी के मु0 नं0 17 की 6.074 है0 मु0 नं0 25 के कि0 नं0 2 के .253 है0 गंगाराम के नाम भूमि है, चक 44 एन पी की मु0 नं0 24 , 3 व 14 में 3.967 है0 भूमि गंगाराम की पत्नी के नाम है। गंगाराम की पत्नी फौत हो चुकी है तथा उसनें अपनी तमाम भूमि अपने पुत्रों मनफूल व इन्द्राज के नाम वसीयत कर दी थी और वसीयत के आधार पर उनके नाम से इंतकाल दर्ज हो गया है। मु0 नं0 13 के .253 है0 में बीरबल पुत्र मुखराम को व मु0 नं0 10 की .0285 है0 भूपराम, श्रवण कुमार को बैय कर दी थी। चक 44 एन पी के मु0 नं0 26 की 1.873 है0 जमना पत्नी गंगाराम के नाम से थी जो जमनादेवी ने बीरबल राम को बैय कर दी थी। मु0 नं0 15–16 में 2.340 है0 भूमि में गंगाराम का 65 हिस्सा है। इस भूमि को अप्रार्थी 1956 से टी सी पर काश्त कर रहा है। गंग कैनाल आवंटन नियम 1956 में 1953 से 1960 तक टी सी वालों को लाभ देने के लिए दिनांक 16.6.70 को नियम 6ए बनाया गया था जिसमें नियम 3 से 6 में कोई बात होते हुए भी 25 बीघा सीचिंत व 50 बीघा असीचिंत भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत रामसरा कुम्हारान की 24–10 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी गंगाराम को किया गया था। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28–6–97 और 20–7–98 में अलग–2 भूमि दर्ज है। मु0 नं0 17 की भूमि रिपोर्ट दिनांक 20–7–98 में दर्ज नहीं है लेकिन इसे मान भी लिया जाये तो मु0 नं0 17 की 6.074 है0 मु0 नं0 25 के कि0 नं0 2 के .253 है0 व मु0 नं0 15–16 में 2.340 है0 में कुल 65 हिस्सा भूमि हिस्से में आती है। इस भूमि को जोड़ने से 28 बीघा 10 बिस्वा भूमि एन पी नहर की है जो नोन पेरीनियल है। गंगनहर आवंटन नियम 3(2) में यह अंकित किया गया है कि 25 बीघा पेरीनियल व 50 बीघा नोन पेरीनियल भूमि आवंटन कराने का पात्र है। भूमि की गणना करने के लिए नियम 4 में क्लाज 1 में भूमि की सीमा दे दरखी है और क्लोज 2 में गणना का तरीका दे

अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रखा है जिसके अनुसार 1 बीघा पेरीनियल, 2 बीघा नोनपेरीनियल और 3 बीघा बारानी भूमि के समान गणना होगी। इस प्रकार अप्रार्थी 75 बीघा बारानी भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है जबकि अप्रार्थी द्वारा केवल 24 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाई है जो 8 बीघा नहरी भूमि के बराबर होती है। इस प्रकार 28.10+8= 36.10 बीघा भूमि बनती है जो 50 बीघा से कम है। रूकमा को भूमि उसके मायके से प्राप्त हुई थी उसने आवंटन से पहले ही इसकी वसीयत कर दी थी। यह भूमि गंगराम के कब्जे में नहीं रही। जमना ...गाराम के भाई की पत्नी थी। जमना ने अपने जीवनकाल में ही यह भूमि तहसील रिपोर्ट के अनुसार बीरबल को बैय कर दी थी और बाद में जमना ने गंगाराम की चूड़ी पहन ली थी।जमना वाली भूमि भी गंगाराम के कब्जा में नहीं रही। इस प्रकार दोनों भूमि रूकमा व जमना की शामिल नहीं की जा सकती। अपने तर्क के समर्थन में आर आर डी 1986 पेज 137 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि शिकायत सारहीन है, खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसील रिपोर्ट दिनांक 20–7–98 के अनुसार चक रामसरा कुम्हारान के मु0 नं0 247/331 में कि0 नं0 1 ता 25 में 6.200 है0 बारानी भूमि जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक 1075 दिनांक 9.2.71 द्वारा आवंटन किया गया है। उक्त भूमि में से 4.682 है0 बारानी रकबा गंगाराम के नाम से बतौर खातेदार एवं शेष 1.518 है0 बारानी श्री मानाराम पुत्र मंगलाराम कुम्हार के नाम बतौर खातेदार है एवं कब्जा काश्त है। चक 44 एन पी में मु0 नं0 10/.285, 13/1.658, 14/1.771, 26/.253 योग 3.967 है0 रकबा मु0 रूकमा बेवा गंगाराम के नाम से एवं जरिये वसीयत मनफूल पुत्र गंगाराम के नाम मु0 नं0 10/0.285, 13/1.658, 26/.253 योग 2.196 है0, इन्द्राज पुत्र गंगाराम के नाम से मु0 नं0 14/1.771 है0 रकबा नहरी है जिसमें से मनफूल के रकबे में से मु0 नं0 13/.253 है0 नहरी बीरबल पुत्र मुखराम को बैय एवं मु0 नं0 10/.285 है0 भूपराम पुत्र श्रवण राम को बैय होकर केताओं के नाम से दर्ज हो चुका है। चक 44 एन पी मु0 नं0 26 का 1.873 है0 नहरी जमना पत्नी गंगाराम के द्वारा बीरबल पुत्र मुखराम जाट को बैय कर दिया है। मु0 नं0 25 में कि0 नं0 2/.253 है0 नहरी गंगाराम पुत्र केसरराम के खातेदारी रकबा है। कि0 नं0 15/.696, 16/1.644 योग 20340 है0 नहरी गंगाराम पुत्र केसरा राम 65 हिस्सा छोगाराम पुत्र गंगाराम 140 हिस्सा के द्वारा मुखराम पुत्र सदूराम जाट साकिन भैमपुरा को बैय कर दिया गया है।

जहाँ तक अप्रार्थी के पास कुल भूमि का प्रश्न है, तहसील, रायसिंहनगर से दो रिपोर्टस दिनांक 20–5–97 एवं दिनांक 20–7–98 प्रेषित की गई हैं। उक्त रिपोर्टस में भूमि अलग–2 दर्ज की गई है। मु0 नं0 17 की भूमि दिनांक 20–7–98 की रिपोर्ट में अंकित नहीं है। यदि इस भूमि को मान लिया जाये तो मु0 नं0 17 की 6.074 है0 व मु0 नं0 25 के कि0 नलं0 2 की .253 है0 व मु0 नं0 15 व 16 में 2.340 है0 में 65 हिस्सा भूमि हिस्से में आती है। इस भूमि को जोड़ने से कुल 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि एन पी नहर की है। एन पी नहर का अर्थ है नोन पेरीनियल बनता है। गंगनहर आवंटन नियम 3(2) में यह अंकित किया गया है कि 25 बीघा पेरीनियल व 50 बीघा नोन पेरीनियल भूमि आवंटन कराने का पात्र है। भूमि की गणना करने के लिए नियम 4 में क्लाज 1 में भूमि की सीमा दर्शायी हुई है और क्लोज 2 में गणना का तरीका बताया हुआ है जिसके अनुसार 1 बीघा पेरीनियल, 2 बीघा नोन पेरीनियल और 3 बीघा बारानी भूमि के समान गणना होगी। इस प्रकार अप्रार्थी 75 बीघा बारानी भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है जबकि अप्रार्थी द्वारा केवल 24 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाई है जो 8 बीघा नहरी भूमि के बराबर होती है। इस प्रकार 28.10+8= 36.10 बीघा भूमि बनती है जो 50 बीघा से कम है। रूकमा को भूमि उसके मायके से प्राप्त हुई थी उसने आवंटन से पहले ही इसकी वसीयत कर दी थी। यह

...जिला कलेक्टर (सतर्कता)

[Type text]

भूमि गंगाराम के कब्जे में नहीं रही। जमना गंगाराम के भाई की पत्नी थी। जमना ने अपने जीवनकाल में ही यह भूमि तहसील रिपोर्ट के अनुसार बीरबल को बैय कर दी थी और बाद में जमना ने गंगाराम की चूड़ी पहन ली थी। जमना वाली भूमि भी गंगाराम के कब्जा में नहीं रही। इस प्रकार दोनों भूमि रूकमा व जमना की शामिल नहीं की जा सकती।

अप्रार्थी गंगाराम भूमि अलॉटमैन्ट करवाने का पात्र था और अलॉट हुई भूमि के खातेदारी अधिकार उसे प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार मिल चुकने के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1986 पेज 137 में मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि :-

Allotment Riles, 1970, R.14[4] - Not applicable to allottees who acquired khatedari rights - Once allottee gets khatedari rights. He acquires all rights, conferred by R.T. Act - Land , allotted on 29.10.77 to non applicant No. 1 on whom khatedari rights, conferred on 23-12-83 by mutation and then he sold land to non applicant Nos. 2 &3 on 24.1.84 - Application dt. 9-8-84 u/s 14[4], rightly dismissed by addl. Collector holding that Rules of 70, not applicable after acquisition of khatedari rights.

उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मेरे विन्रम मत में अप्रार्थी 75 बीघा बारानी भूमि आवंटन कराने का अधिकारी है जबकि अप्रार्थी द्वारा केवल 24 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवाई है जो 8 बीघा नहरी भूमि के बराबर होती है। इस प्रकार कुल 28.10+8= 36.10 बीघा बारानी भूमि बनती है जो 50 बीघा से कम है। अतः शिकायतकर्ता की शिकायत प्रमाणित न होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22–03–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलेक्टर (राजस्व)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner